allocation of Rs. 12.90 crores under the Slum Clearance Scheme.

(b) The Government propose to watch the result of recent liberalisations in the Scheme e.g. an increase in the ceiling cost of accommodation provided under the scheme by about 10 per cent., permission to utilise the Scheme funds for Slum Improvement and construction of Night Shelters etc. before further reviewing this matter.

Kathmandu-India Highway

65. Shri P. Venkatasubbaiah: Will the **Prime Minister** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Kathmandu-India Highway (Tribhuvan Rajpath) was damaged by heavy rains;

(b) whether repairs have been done to make the road fit for vehicular traffic;

(c) if so, the amount spent on repairs; and

(d) how the expenditure has been shared between our Government and the Government of Nepal?

The Prime Minister and Minister of External Affairs and Minister of Atomic Energy (Shri Jawaharlal Nehru): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir.

(c) Approximately Rs. 3 lakhs.

(d) The entire cost was met from the funds provided under India's Aid Programme in Nepal.

दिल्ली में सूती कपड़ा मिलें

६६. { **श्री कछवाय :**
श्री रामचन्द्र बड़े :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में कितनी सूती कपड़ा मिलें हैं ;

(ख) इन मिलों में कितने मजदूर काम कर रहे हैं ;

(ग) इन में से स्थायी तौर पर बहाल मजदूरों की संख्या कितनी है ; और

(घ) दिल्ली की कितनी सूती कपड़ा मिलों ने कपडा मजूरी बोर्ड की सिफारिश लागू कर ली हैं और उन के नाम क्या हैं ?

श्रम और रोजगार मंत्रालय में श्रम मंत्री (श्री हाथी) : (क) चार ।

(ख) २०,४८५ ।

(ग) १३,७६६ ।

(घ) (१) दिल्ली क्लाथ मिल्स, दिल्ली ।

(२) स्वतंत्र भारत मिल्स, नई दिल्ली ।

(३) बिरला काटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स, दिल्ली

(४) अजुध्या क्सटाइल मिल्स लि०, दिल्ली ।

दिल्ली दुकान तथा संस्थान एक्ट का उल्लंघन

६७. { **श्री कछवाय :**
श्री बड़े :

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली दुकान तथा संस्थान अधिनियम का उल्लंघन करने के लिये दिल्ली के कितने दुकानदारों को पिछले तीन महीने (अप्रैल, मई और जून) में दंड दिये गये और उन से कितना जुर्माना वसूल किया गया;

(ख) इस अधिनियम का उल्लंघन होने के क्या-क्या कारण सरकार के ध्यान में आये हैं ; और

(ग) इस की रोकथाम के लिये क्या व्यवस्था की जा रही है ?